मध्यप्रदेश शासन

राजस्व विभाग

क्रमांक/एफ-03-16/2020/सात-6 भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर, 2020

प्रति,

1. **समस्त संभागीय आयुक्त**
   मध्य प्रदेश
2. **समस्त कलेक्टर,**
   मध्यप्रदेश

विषय- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का क्रियान्वयन।

संदर्भ- मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ03-08/2019/सात-6 दिनांक 18/02/2019 एवं दिनांक 12/06/2019

मध्यप्रदेश में कृषि कार्य मानसून पर निर्भर करता है जिससे कि कृषि कार्य में सदैव अनिश्चितता बनी रहती है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक आपदा होने पर भी कृषि उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पडता है। कृषकों की उक्त समस्याओं के निराकरण के लिए कई वर्षो से ऐसी योजनाओं के क्रियान्वयन की आवश्यकता परिलक्षित होती रही है जिससे विपरीत परस्थितियों में कृषकों को आय संवर्धन निरंतर प्राप्त हो सके तथा उनका आर्थिक उत्थान निरंतर जारी रहे। इस आशय हेतु भारत सरकार द्वारा दिसम्बर 2018 से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रारंभ की गई है। पीएमकिसान योजनांतर्गत कृषकों को वर्ष में 03 समान किश्तों में कुल राशि ₹ 6000/- का भुगतान किया जाता है। पीएमकिसान योजना के क्रियान्वयन संबंधी विस्तृत निर्देश संदर्भित परिपत्रों व्दारा जारी किये गये थे ।

2. पीएमकिसान योजना के तहत कृषकों को लाभ निरंतर प्राप्त हो रहा है। उक्त योजना के साथ-साथ राज्य शासन व्दारा कृषि को लाभ का धंधा बनाए जाने की परिकल्पना को पूर्ण करने, कृषि हेतु उन्नत तकनीक का उपयोग करने, कृषकों की आय संवर्धन के उद्देश्य को पूर्ण करने एवं प्रदेश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना माह सितम्बर, 2020 से प्रारंभ की जा रही है । मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत वित्तीय वर्ष में दो (02) समान किश्तों में कुल राशि ₹ 4000/- का भुगतान किसानों को किया जायेगा। वित्तीय वर्ष के अंतर्गत दी जाने वाली दो (02) समान किश्तों में से प्रथम किश्त का भुगतान दिनांक 01 अप्रैल से 31 अगस्त के मध्य तथा द्वितीय किश्त का भुगतान दिनांक 01 सितम्बर से 31 मार्च के मध्य किया जायेगा । मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की पात्रता हेतु पीएम किसान योजना के लिये निर्धारित पात्रता की शर्तें ही लागू होगीं अर्थात पीएमकिसान योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राही को ही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त होगा ।

3. योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :-

(1) योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार ग्राम में मुनादी कराकर किया जाये । प्रचार में यह स्पष्ट उल्लेख किया जाये कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ मात्र पीएमकिसान योजना के पात्र हितग्राहियों को ही प्राप्त होगा जिससे कि पुष्टि हेतु केवल पीएम किसान योजना के हितग्राही ही उपस्थित हों ;

(2) हल्का पटवारी व्दारा पूर्व सूचना दी जाकर ग्राम के सुलभ स्थान पर आवेदकगणों के आधार नंबर, खसरा नंबर, नाम, समग्र आदि से सारा एप के माध्यम से यह पुष्टि की जायेगी कि उपस्थित आवेदक पीएमकिसान योजना का पात्र हितग्राही है अथवा नहीं ;

(3) पीएमकिसान योजना का पात्र हितग्राही के चिन्हित हो जाने पर पटवारी व्दारा नियत प्रारूप (छाया प्रति संलग्न है) में हस्ताक्षरित आवेदन हितग्राही से प्राप्त किया जाकर आवेदन पत्र को पंजी में संधारित किया जायेगा । आवेदन पत्र में उल्लिखित जानकारी (आधार नम्बर आदि) सारा एप के माध्यम से दर्ज कर पात्र हितग्राही का प्रत्यक्ष में फोटो एप के माध्यम से खींचकर सुरक्षित रखा जायेगा;

(4) चूँकि पीएमकिसान योजना के हितग्राहियों की जानकारी एप पर प्रदर्शित होगी अत: किसान से अन्य कोई भी जानकारी प्राप्त किया जाना आवश्यक नहीं होगा;

(5) पटवारी द्वारा भरे गये पात्र आवेदकों की जानकारी तहसीलदार के माध्यम से राज्य स्तर पर सीधे प्राप्त होगी जिसके संबंध में भुगतान की कार्यवाही कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख द्वारा संपादित की जायेगी।

(6) योजना की प्रत्येक किश्त के भुगतान के पूर्व पात्र हितग्राही को सत्यापित करने के लिये उपरोक्त कंडिका (1) से कंडिका (5) में उल्लिखित कार्यवाही पुन: सम्पादित की जायेगी ।

4. मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का क्रियान्वयन तत्काल प्रारंभ करते हुये यह सुनिश्चित करें कि योजना का लाभ प्रत्येक पात्र हितग्राही को आवश्यक रूप से प्राप्त हो ।

(मनीष रस्तोगी)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पृ.क्रमांक/एफ-03-16/2020/सात-6 भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर, 2020

प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय।
3. आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

आवेदन-पत्र

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना

आवेदक की जानकारी	
नाम	
पिता / पति का नाम	
पता	
वर्ग/जाति	अजा ☐ अजजा ☐ अपिव ☐ सामान्य ☐
लिंग	महिला ☐ पुरुष ☐ अन्य ☐
आधार नंबर	
समग्र नंबर	
मोबाईल नंबर	
भूमि संबंधी जानकारी	
खसरा नंबर एवं रकवा	
ग्राम का नाम	
हल्का	
तहसील, जिला का नाम	

सहमति एवं प्रमाणीकरण

☐ मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि, मैं योजना हेतु पात्र हूँ एवं मेरे द्वारा उपरोक्त दी गई जानकारी सत्य एवं सही है, यदि मेरे द्वारा कोई गलत जानकारी दी जाती है, तो मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है।

☐ मेरे द्वारा दिए गए आधार नंबर का उपयोग मध्यप्रदेश शासन की योजनाओं में उपयोग किए जाने हेतु मैं अपनी सहमति प्रदान करता हूँ।

दिनांक	
स्थान	आवेदक के हस्ताक्षर

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना (आवेदन पावती)

आवेदन दिनांक .... को प्राप्त किया गया ।

प्राप्तकर्ता का नाम, पद एवं हस्ताक्षर